साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सें. मीटर एच. डी. 1020 ग्राम प्रति बोरा 6 × 8, 3–नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. (2566–1984 अद्यतन संशोधित) एक अनुरूप है, अधिकतम बहिनिर्माणी कीमत 862.90 रुपये प्रति एक सौ बोरे नियत करते हैं। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय अगस्त महीने, 1988 के दौरान किया जायेगा।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण अधिनियम 1983 के अंतर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिनिर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा।

[फा. सं. 8/3/88 – जूट]
बी. पाण्डे, पटसन आयुक्त (कार्यकारी)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

Calcutta, the 7th September, 1988

NOTIFICATION

S.O. 848 (E) .—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, B. Pande, Jute Commissioner (Offtg.) hereby fix Rs. 862.90 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of Jute Textiles) of the size 112. 4cms. × 67.5 cms. Hd. W. I. P. 112.0 Cms. Hd. 1020cms. per bag, 6 × 8, 3 blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566 – 1984 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of August, 1988.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sale tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|3|88-Jute]
B. PANDE, Jute Commissioner (Offtg.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 1988/भाद्र 16, 1910
No. 457] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1988/BHADRA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1988

का. आ. 849(अ) :—केन्द्रीय सरकार, मसाला उत्पाद अधिनियम, 1986 (1986 का 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के